भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3754
दिनांक 17.03.2020

औसत से कम मानसून हेतु आकस्मिक योजना

3754. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद राव:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की औसत से कम मानसून से निपटने की आकस्मिक योजनाओं का ब्यौरा क्या है क्योंकि मौसम विभाग ने इस वर्ष औसत मानसून वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है और भारतीय कृषि को 'मानसून का जुआ' कहा जाता है; और

(ख) सरकार द्वारा फसल के नुकसान होने पर पर्याप्त बीमा कवरेज और कृषि-वस्तुओं पर एक हितैषी व्यापार नीति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के प्रमुख 650 कृषि प्रधान जिलों के लिए विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों के साथ जिला कृषि आकस्मिकता योजनाएं तैयार की हैं। इन सभी जिला कृषि योजनाओं को, आवश्यकता आधारित राज्य स्तरीय इंटरफ़ेस बैठकों के आयोजन तथा कार्यान्वयन के लिए, राज्यों के साथ साझा किया जाता है। ये सभी योजनाएं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की वैबसाइट (http://agricoop.nic.in/agriculture-contingency-plan-listing) एवं भाकृअप-क्रीडा की वैबसाइट(http://www.crida.in) पर भी अपलोड की गई हैं।

(ख) प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के कारण फसल में होने वाली हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तथा किसानों की आय को स्थिर करने आदि के लिए, सरकार ने खरीफ 2016 से पैदावार आधारित प्रधान मंत्री फसल

बीमा योजना तथा मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना शुरू
की है। यदि फसल के मौसम में, मौसम संबंधी विपरीत परिस्थितियों के कारण संबंधित बीमा इकाई में उस मौसम के लिए अपेक्षित पैदावार, पैदावार की न्यूनतम सीमा (थ्रैशहोल्ड) के 50% से कम होने की संभावना है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमाकृत किसानों को तत्काल राहत प्रदान की जाती है।

अंतर-मंत्रालय समिति जिसमें वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं, का गठन किया गया है जिसे विभिन्न जिंसों के लिए घरेलू एवं वैश्विक मूल्य स्थिति पर गहन नज़र रखने तथा उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के परस्पर विरोधी हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि व्यापार नीति में आवश्यक परिवर्तन करने की सिफ़ारिश सरकार को करने का अधिदेश दिया गया है।

****